पत्रावली पेश हुई। वादिनी पक्षकार 7 पर एकपक्षीय
वादी प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। तथा दृष्टांतों के आधार पर एवं वादी
प्रार्थी की बहस के अनुसार अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिका गण विपक्षीगण
गिरि, गोरधनगिरि पावद परस्पर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिका
राजस्व ग्राम रामपुरा के खसरा संख्या 282 में स्थित भूमि
के प्रार्थी की हिस्सा भूमि के अलग रास्ता में बाधा कारित
न करें। खुदाई न करें। तथा किसी भी प्रकार का
आवाजाही मना या पक्का निर्माण नहीं करें। पत्रावली
पेशकार द्वारा नम्बर से मन हो।